न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती आशा पत्नी श्री विनोद पोरवाल, जाति जैन
2. श्रीमती जतन देवी पत्नी जसकरण पोरवाल, जाति जैन
3. जसकरण पिता श्री अर्जुन पोरवाल, जाति जैन (मृतक) के बजाय :–

3/1. विनोद पोरवाल पिता जसकरण पोरवाल, जाति जैन, निवासी 463–ए, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

4. हेमन्त पिता श्री जसकरण विनोद पोरवाल, जाति जैन, निवासी 463–ए, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
5. नरेन्द्र पिता रतनलाल धींग, जाति जैन, निवासी 413, हिरण मगरी सेक्टर नंबर–3, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मधुलिका पत्नी श्री रमेश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी 733, हिरण मगरी सेक्टर नंबर–11, उदयपुर (राज.)
2. मनोहरसिंह पिता पदमसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गमेरसिंह पिता पदमसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. गुलाबसिंह पिता पदमसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मेहताब बाई पत्नी पदमसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. किशनसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

6/1. लक्ष्मणसिंह पिता किशनसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. श्रीमती कमला कुंवर पुत्री किशनसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/3. श्रीमती हेमा कुंवर पुत्री किशनसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/4. श्रीमती गीता कुंवर पुत्री किशनसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/5. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री किशनसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: Self Attested

6/6. श्रीमती बदाम कुंवर पत्नी किशनसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7. मनोहरसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8. सोहनसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक)

9. सुमेरसिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती सायर बाई पत्नी देवीसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (नाम तर्क किया गया)

11. लक्ष्मणसिंह पिता रघुवीरसिंह जी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

11/1. हरिसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

11/2. केसरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी भगवानलाल जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13. तखतसिंह पिता नानानलाल जी कोठारी, जाति जैन (मृतक) के बजाय :–

13/1. प्रशान्त पिता स्व. तखतसिंह जी कोठारी, जाति जैन, निवासी 432, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

14. शाखा प्रबन्धक, दी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कृषि मण्डी, उदयपुर (राज.)

15. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नी स्व. खेमसिंह जी राजपूत, निवासी सेठ जी की कुण्डाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. –1955
विरूद्ध निर्णयएवं डिक्री सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 05–12–2019
संशोधित निर्णय व डिक्री दि॰ 06.01.2020
प्रकरण संख्या 49/2019

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री आलोक जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3. श्री सुनील शर्मा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 3, 4, 7, 16
4. श्री अशोक साहू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 13/1
5. श्री मनोज कुमार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14
6. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 15

–––/–––

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 02—02—2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सेठ जी की कुण्डाल में आराजी नंबर 1001 रकबा 2.2300 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1002 रकबा 42.7800 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 45.0800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ मौके पर केवल पक्षकारान सुविधानुसार अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उक्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य न्यायहित में विभाजन कराया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित उपरोक्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 10/1, 10/2 व 16 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की गयी एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05—12—2019 से वादिया का वाद स्वीकार कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गयी। तत्पश्चात् तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार विरासत एवं हक त्याग हो जाने से प्रकरण में दिनांक 06—01—2020 संशोधित डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14—01—2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 7 व 16 की ओर से वकील श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13/1 की ओर से वकील श्री अशोक साहू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से वकील श्री मनोज कुमार एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गयी है, न ही तनकियात कायम की गयी हैं, जो स्पष्ट रूप से सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 14 व 16 की मृत्यु हो गयी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है एवं न ही मौके पर प्रतिवादीगण को बुलाया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 11/1, 11/2 व 12 ने आपस में मि[illegible]कर बंटवारा रिपोर्ट तैयार करवायी है, जो प्रारम्भिक तौर पर शून्य है। [illegible] नियम 18 से 21 की पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण पुनः नये सिरे से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स निर्णय करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो रंगीन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत हुआ उस पर सिर्फ वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1, 11/2, 12 के ही हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट एवं फर्द बंटवारे पर भी सिर्फ वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1, 11/2, 12 के ही हस्ताक्षर हैं। तद्नुसार उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, उसे पूर्णतया उचित नहीं माना जा सकता है, किन्तु न्यायालय हाजा की पत्रावली पर पक्षकारों द्वारा दिनांक 23–11–2020 को आपसी राजीमाना प्रस्तुत कर उसके साथ रंगीन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है एवं इसी राजीनामे अनुसार विभाजन किये जाने का कथन किया है, जिस पर अपीलान्टगण के साथ कुल 8 पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं एवं पक्षकारों की पहचान अधिवक्ता अपीलान्ट श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा की गयी है। इस राजीनामें एवं नक्शा ट्रेस में भी स्वयं अपीलान्टगण ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 12 एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1 व 11/2 के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो भूमियां रखी गयी है, उन भूमियों को उनके हिस्से में ही होना दर्शा रखा है, जबकि अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अन्य पक्षकारान के मध्य जो शामलाती भूमि रखी गयी है, उन भूमियों बाबत् अलग–अलग रंग से 7 हिस्से दर्शा रखे हैं एवं इसी अनुसार राजीनामें में भूमियां पक्षकारों के हक में रखे जाने का निवेदन किया है। तद्नुसार उक्त राजीमाने अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–12–2019 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06–01–2020 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 12 एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1 व 11/2 के हिस्से में जो भूमियां रखी गयी हैं, उसे यथावत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे एवं उनके द्वारा प्रस्तुत रंगीन नक्शा ट्रेस अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती मधुलिका [illegible] रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 श्रीमती प्रेमबाई गुर्जर के हिस्से में आराजी [illegible] 2.1250 हैक्टर, 1002/2 रकबा

0.0625 हैक्टर तथा आराजी नंबर 1002 मीन रकबा 6.8285 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 9.0160 हैक्टर, जिसे नक्शे में तोता रंग से दर्शाया गया है।

- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1 हरिसिंह व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/2 केसरसिंह के हिस्से में आराजी नंबर 1001/1 रकबा 0.1750 हैक्टर तथा आराजी नंबर 1002/1 रकबा 6.5870 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 6.7620 हैक्टर, जिसे नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।
- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/1 लक्ष्मणसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/2 कमला कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/3 हेमा कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/4 गीता कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/5 कैलाश कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/6 बदाम कुंवर के हिस्से में आराजी नंबर 1002/6 रकबा 1.8023 हैक्टर, जिसे नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है।
- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13/1 प्रशान्त कोठारी के हिस्से में आराजी नंबर 1002/7 रकबा 1.5027 हैक्टर, जिसे नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।
- अपीलान्ट संख्या 1 आशा पोरवाल, अपीलान्ट संख्या 2 जतन देवी पोरवाल, अपीलान्ट संख्या 3/1 विनोद पोरवाल, अपीलान्ट संख्या 4 हेमन्त पोरवाल के हिस्से में आराजी नंबर 1002/9 रकबा 6.0106 हैक्टर, जिसे नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 श्रीमती सज्जन कुंवर के हिस्से में आराजी नंबर 1002/8 रकबा 2.2540 हैक्टर, जिसे नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 मनोहरसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 सोहनसिंह (मृतक), रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 सुमेरसिंह एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 सायरबाई (मृतक) के हिस्से में आराजी नंबर 1002/5 रकबा 7.2128 हैक्टर, जिसे नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है।
- रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मनोहरसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 गमेरसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 गुलाब कुंवर तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 मेहताब बाई राजपूत के हिस्से में आराजी नंबर 1002/3 रकबा 9.0160 हैक्टर, जिसे नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।
- अपीलान्ट संख्या 5 नरेन्द्र धींग के हिस्से में आराजी नंबर 1002/4 रकबा 1.5027 हैक्टर, जिसे नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रस्तुत राजीनामा व रंगीन नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती आशा पत्नी विनोद पोरवाल, निवासी 463–ए, भुपालपुरा, उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती मधुलिका पत्नी रमेश शर्मा, निवासी 733, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 11, उदयपुर व अन्य**

अपील नं............**7/2020**............व नाराजगी डिगरी अदालत ....**सहायक कलक्टर**..............
..... **(फास्ट ट्रेक गिर्वा)**.......... मुकाम.............मुवर्खे............**06**..............माह..............**01**............**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..............**02**............माह.........**02**..............सन् **2021** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व **श्री आलोक जैन, सुनील शर्मा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–12–2019 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06–01–2020 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 12 एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1 व 11/2 के हिस्से में जो भूमियां रखी गयी हैं, उसे यथावत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे एवं उनके द्वारा प्रस्तुत रंगीन नक्शा ट्रेस अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–**

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती मधुलिका शर्मा व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 श्रीमती प्रेमबाई गुर्जर के हिस्से में आराजी नंबर 1001 मीन रकबा 2.1250 हैक्टर, 1002/2 रकबा 0.0625 हैक्टर तथा आराजी नंबर 1002 मीन रकबा 6.8285 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 9.0160 हैक्टर, जिसे नक्शे में तोता रंग से दर्शाया गया है।**

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/1 हरिसिंह व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11/2 केसरसिंह के हिस्से में आराजी नंबर 1001/1 रकबा 0.1750 हैक्टर तथा आराजी नंबर 1002/1 रकबा 6. 5870 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 6.7620 हैक्टर, जिसे नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।**

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/1 लक्ष्मणसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/2 कमला कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/3 हेमा कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/4 गीता कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/5 कैलाश कुंवर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6/6 बदाम कुंवर के हिस्से में आराजी नंबर 1002/6 रकबा 1. 8023 हैक्टर, जिसे नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है।**

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13/1 प्रशान्त कोठारी के हिस्से में आराजी नंबर 1002/7 रकबा 1. 5027 हैक्टर, जिसे नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।**

- **अपीलान्ट संख्या 1 आशा पोरवाल, अपीलान्ट संख्या 2 जतन देवी पोरवाल, अपीलान्ट संख्या 3/1 विनोद पोरवाल, अपीलान्ट संख्या 4 हेमन्त पोरवाल के हिस्से में आराजी नंबर 1002/9 रकबा 6.0106 हैक्टर, जिसे नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।**

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 श्रीमती सज्जन कुंवर के हिस्से में आराजी नंबर 1002/8 रकबा 2. 2540 हैक्टर, जिसे नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।**

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 मनोहरसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 सोहनसिंह (मृतक), रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 सुमेरसिंह एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 [illegible] (मृतक) के हिस्से में आराजी नंबर 1002/5 रकबा 7.2128 हैक्टर, जिसे नक्शे में [illegible] रंग से दर्शाया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

- **रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मनोहरसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 गमेरसिंह, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 गुलाब कुंवर तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 मेहताब बाई राजपूत के हिस्से में आराजी नंबर 1002/3 रकबा 9.0160 हैक्टर, जिसे नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।**
- **अपीलान्ट संख्या 5 नरेन्द्र धींग के हिस्से में आराजी नंबर 1002/4 रकबा 1.5027 हैक्टर, जिसे नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग............**X**.............)............रूपये .... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख................**02**.............माह..............**02**.............**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested